न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/22

कुलदीप सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. ज्योति कंवर पत्नी श्री मनीष पाल सिंह पुत्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी अमन मोटर भीमरोड, कांकरोली जिला राजसमन्द ।
2. गोविन्द कंवर पत्नी श्री विजय सिंह पुत्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी मलारना रोड तहसील बोली जिला सवाईमाधोपुर ।
3. चन्द्रवीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत निवासी मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. शकुन्तला कंवर पुत्री बलदेव सिंह जाति राजपूत निवासी मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. सरोज कंवर पत्नी जगदेव सिंह पुत्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी बिरदोई कोटडी जिला भीलवाडा ।
6. कृष्णा कुमारी पत्नी स्व0 श्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से ।
3. श्री मोहम्मद अकरम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 एवं की ओर से

निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उप जिला कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण कम 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 31/11 ग्राम ककरावदा की कुल 08 किता की 8.32 हैक्टर आराजी एवं ग्राम मोतीकुआ की 02 किता की 2.13 हैक्टर भूमि एवं ग्राम चीसा की कुल 03 किता की 9.85 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थिया का हक

निहित है और अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द रहन, बेचान करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द कर दिया जो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः ताफैसला वाद प्रार्थिनी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन के हस्तान्तरित, खुर्द–बुर्द एवं बेचान नहीं करे । प्रार्थिया के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 18/12 प्रार्थी अपीलान्ट कुलदीप ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद की रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा, ग्राम चींसा तहसील दीगोद की कुल 04 किता की 93 बीघा 16 बिस्वा भूमि एवं ग्राम चीसा की 12 बीघा 15 बिस्वा ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद की कुल 03 किता की 49 बीघा 10 बिस्वा एवं ग्राम रूग्गी गढेपान की 03 बीघा 15 बिस्वा वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की आराजी है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं ।

5. अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि न तो अप्रार्थीगण स्वयं और न ही उनके अधिकृत एजेन्ट दलाल के माध्यम से प्रार्थीगणों के संयुक्त खाते की भूमि मद नं0 03 एवं 5 चारों गांवों की 167 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बेचान, रहन, कर खुर्द–बुर्द करें । ताफैसला वाद राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई रूकावट पैदा नहीं करें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.12.2015 को अप्रार्थी कम 1 व 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र संख्या 31/11 एवं अन्य प्रकरण संख्या 18/12 दोनों खारिज कर दिये और प्रार्थना पत्र संख्या 31/11 में दिनांक 30.06.2011 एवं प्रकरण संख्या 18/12 में दिनांक 17.02.2012 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट कुलदीप ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीलिंग कार्यवाही सक्षम न्यायालय में पेडिंग होने का प्रमाण होने पर भी तथा सीलिंग में अवाप्त होने वाली भूमि का निर्धारण होने के पश्चात् ही शेष रहने वाली भूमि में पक्षकारों के हिस्से का निर्धारण होना आवश्यक नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज सीलिंग कार्यवाही से सम्बन्धित है जो इन्हीं पक्षकारों से सम्बन्धित है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

10. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पक्षकारों के हित एवं अधिकार मूल दावे में तय होने हैं इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द नहीं करने में त्रुटि की है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रथमदृष्टया प्रकरण कमजोर हो तो भी निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को विक्रय एवं खुर्द–बुर्द से रोका जाना आवश्यक है । सीलिंग की कार्यवाही लम्बित होने का प्रमाण भी पेश किया गया है । सीलिंग में अवाप्त होने वाली भूमि का निर्धारण होने के उपरान्त ही शेष आराजी में पक्षकारों के हिस्से तय होंगे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस आराजी में पक्षकारों के संभाग से हिस्सा दर्ज है उसमें स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया जावे क्योंकि प्रत्येक सहखातेदार को अपने अधिकार के अनुसार हिस्सा मिला है जिसे विक्रय अथवा अन्तरित करने का उसे अधिकार है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर विक्रय पत्र दिनाक 04.06.1970 द्वारा रघुराज सिंह की फोटो प्रति, सीलिंग कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज की फोटो प्रतियॉ, मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2013 से 2032 की फोटो प्रति जिसके अनुसार बलदेव, रघुराज पिसरान गुमान सिंह के खाते की 66 किता की 997 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2043 से 2062 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम ककरावदा की आराजी कुलदीप वल्द रघुराज सिंह, ज्योति पुत्री रघुराज सिंह, कृष्णकुमारी बेवा रघुराज सिह हिस्सा बराबर कुल 08 किता की 8.32 हैक्टर आराजी दर्ज है । भू–प्रबन्ध विभाग की मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति भी पत्रावली में संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 की प्रति भी संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 खात संख्या 147, जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 खाता संख्या 12, जमाबन्दी संवत् 2043 से 2062 खात संख्या 14 की फोटो प्रतियॉ संलग्न है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किया था कि प्रार्थिया व प्रतिपक्षी क्रम 1 से 3 के पिता एवं प्रतिपक्षी क्रम 4 के पति रघुराज सिंह के नाम कुल 03 किता की 49 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। रघुराजसिंह की मृत्यु हो जाने पर इंतकाल प्रतिपक्षी क्रम 1, 2 व

4 के नाम खोला प्रार्थिनी व प्रतिपक्षी कम 3 का नाम अंकित होने से रह गया जबकि रघुराज सिंह के एक पुत्र प्रतिपक्षी कम 1 व तीन पुत्रियॉ प्रार्थिया व प्रतिपक्षी कम 2 व 3 हैं । इस आराजी के सेटलमेंट के दौरान नये खसरा नम्बर अंकित कर कुल 08 किता की 8.32 हैक्टर आराजी दर्ज की गई । इसी प्रकार ग्राम चींसा में कुल 60 बीघा 15 बिस्वा आराजी रघुराज सिंह के नाम दर्ज थी । भू–प्रबन्ध विभाग ने इसके नये खसरा नम्बर कायम कर 03 किता की 9.85 हैक्टर आराजी दर्ज की गई । रघुराज सिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण प्रार्थिया और प्रतिपक्षी कम 1 से 4 के नाम खोला गया ।

14. ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद में रघुराज सिंह एंव बलदेव सिंह के खाते में खसरा नम्बर 381 की 16 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज थी जिसमें रघुराज सिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज था। रघुराज सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया और प्रतिपक्षी कम 2 ओर 3 का नाम अंकित होने से रह गया । सेटलमेंट ने दोनों के नये खसरा नम्बर कायम किये गये हैं । आराजीयात पुश्तैनी है इस कारण प्रार्थिया का इसमें 1/5 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारिनी है । पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं । प्रतिपक्षीगण आराजी का विभाजन कराये बिना इसे खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । अतः प्रतिपक्षीगण को वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करने से रोका जावे ।

15. एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम पेश किया है जिसमे यह भी अंकित किया गया है कि पुराने खसरा नम्बर 102 की 04 बीघा 06 बिस्वा आराजी रघुराज सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 04.06.70 को प्रतिपक्षी कम 1 को दान की थी जिसका नामान्तरकरण तस्दीक नहीं होने से प्रतिपक्षी कम 1 के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । प्रतिपक्षी कम 1 इसका तन्हा खातेदार है शेष आराजी पुश्तैनी है जिसमें प्रतिपक्षी कम 1 का इस शेष भूमि में अपने जन्म से अपने पिता के समान अधिकार है तथा श्री रघुराज सिंह की मृत्यु होने पर उस समय के हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 06 के अनुसार श्री रघुराज सिंह जी की मृत्यु के पूर्व काल्पनिक बंटवारा किया जाकर श्री रघुराज सिंह जी का हिस्सा निकाला जावेगा जिसके अुनसार श्री रघुराज सिंह द्वारा प्रतिपक्षी कम 1 को दान की गई भूमि को कम करके शेष भूमि में रघुराज सिह का केवल मात्र 1/3 हिस्सा था तथा इस 1/3 हिस्से के उत्तराधिकारी श्री रघुराज सिंह के पुत्र प्रतिपक्षी कम 1 प्रतिपक्षी कम 4 तथा पुत्रियॉ प्रार्थिनी व प्रतिपक्षी कम 2 व 3 हैं । सीलिंग के तहत कार्यवाही जैरकार है जब तक सीलिंग सीमा का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक वाद का निस्तारण नहीं हो सकता ।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज किया है । पत्रावली में कुछ दस्तावेजात संलग्न किये गये हैं जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रार्थिया सरोज कंवर द्वारा ग्राम ककरावदा, मोतीकुआ की आराजी में रघुराजसिंह की वारिस होने के नाते प्रतिपक्षीगण कम 1 से 4 के समान संभाग हक घोषणा की प्रार्थना की है एवं अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिपक्षीगण को वादग्रस्त आराजी की वसीयत, रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया गया है । काउन्टर क्लेम प्रतिपक्षीगण कम 1 व 4 के द्वारा पेश किया गया है । इसमें यह कथन किया गया है कि रघुराज सिंह के द्वारा जो आराजी दान की गई थी उसको छोडकर शेष आराजी में रघुराज का 1/3 हिस्सा निहित था जिसमें भी प्रार्थिया के कुछ अधिकार निहित हो सकते हैं ।

17. पत्रावली पर जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनके अनुसार वादग्रस्त आराजी के बाबत् सीलिंग की कार्यवाही भी जैरकार है। पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व वादग्रस्त आराजी में सीलिंग कार्यवाही में पारित निर्णय के उपरान्त शेष बची हुई आराजी में ही निहित होंगे ।

18. अधिकार एवं स्वत्व मूल वाद के निर्णय के दौरान ही तय होंगे, इस स्टेज पर नहीं । पक्षकारान रघुराज सिंह एवं बलदेव के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध पक्षकार हैं और उनके अधिकारों का निर्धारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर दावें में होगा तब तक वादग्रस्त आराजी का अन्तरण नहीं करने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया जाना आवश्यक है । तद्नुसार हम इस प्रकारण में उभय पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करने हेतु ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं ।

19. यहॉ पर आरआरटी 2003 (1) पेज 373, आरआरटी 2005 (2) पेज 812, आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450 चस्पा होते हैं ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 निरस्त किया जाता है । उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें। उक्त कृत्य न तो पक्षकारान स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

21. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा